



2026: AHC: 28988-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **1578 वर्ष 2026**

प्रथम सूचनादातायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बालेश त्रिपाठी, सौमित्र द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"क. 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को केस अपराध संख्या 98 वर्ष 2025, धारा 87, 137(2), 65(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 (2), 16/17 पॉक्सो अधिनियम, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ की जांच किसी अन्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ख. 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को केस अपराध संख्या 98 वर्ष 2025, धारा 87, 137(2), 65(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 (2), 16/17 पॉक्सो अधिनियम, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ की जांच को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित समय के भीतर निष्पक्ष तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

ग. मुकदमा अपराध संख्या 98 वर्ष 2025, धारा 87, 137(2), 65(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 (2), 16/17 पॉक्सो अधिनियम, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ की जांच के रिकॉर्ड मंगवाने के लिए 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

घ. ऐसा कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

इ. याचिकाकर्ता को इस याचिका का खर्च दिलाया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्राथमिकी 15.02.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दे सकता है; और यदि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़/प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

ज़फ़र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"